


आदेश

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20 (1)/2017 व शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018/30(13)2017 के अनुसार जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा कृषि विभाग के समूह 'घ' के कार्मिकों के लिये गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 04.06.2018 में लिये गये निर्णय एवं स्थानान्तरण स्थलों का चिन्हांकन दुर्गम क्षेत्र से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक के पहलुओं पर स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये विचार विमर्श के उपरान्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-140 दिनांक-XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 जिसमें वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी गयी है, में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट चतुर्थ श्रेणी कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट का स्थानान्तरण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार के अधीन रिक्त पद पर की जाती है। श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट चतुर्थ श्रेणी को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण नीति की धारा-27 की उप धारा 11 के क्रम में आदेश निर्गत होने के 07 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त होते हुये उप धारा 12 में निहित प्राविधानों के अनुसार आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर नव तैनाती स्थान में योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त कर्मचारी को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट अपने सेवा में 34 वर्ष 07 माह 15 दिन की अवधि तक दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में नियम-10 के तहत दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता के आधार पर उनका स्थानान्तरण सुगम स्थान पर किया जाता है।


(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य कृषि अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

॥ कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ॥

पत्रांक-429 /स्था0/स्थानान्तरण एक्ट/2018-19/दिनांक-07-06-2018

प्रतिलिपि:-1-श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट चतुर्थ श्रेणी कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट को परिपालनार्थ ।

2-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट को इस निर्देश के साथ कि उक्त कर्मचारी को नव तैनाती स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करना सुनिश्चित करें।

3-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

4-कोषाधिकारी धुमाकोट/कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।


5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि उक्त आदेश को जिलाधिकारी महोदय की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

6-जिलाधिकारी, गढ़वाल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

7-अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

8-कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


9-स्थापना गार्ड पत्रावली।


मुख्य कृषि अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

आदेश

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या-12 /XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 व शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018/30 (13) 2017 के अनुसार जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा कृषि विभाग के समूह 'घ' के कार्मिकों के लिये गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 04.06.2018 में लिये गये निर्णय एवं स्थानान्तरण स्थलों का चिन्हांकन दुर्गम क्षेत्र से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक के पहलुओं पर स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये विचार विमर्श के उपरान्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-140 दिनांक-XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 जिसमें वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तक सीमित रखी गयी है में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री जसवन्त सिंह चतुर्थ श्रेणी कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट का स्थानान्तरण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार के अधीन रिक्त पद पर की जाती है। श्री जसवन्त सिंह, चतुर्थ श्रेणी को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण नीति की धारा-27 की उप धारा 11 के क्रम में आदेश निर्गत होने के 07 दिनों के अन्तर्गत कार्यमुक्त होते हुये उप धारा 12 में निहित प्राविधानों के अनुसार आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर नव तैनाती स्थान में योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त कर्मचारी को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

श्री जसवन्त सिंह अपने सेवा में 32 वर्ष 06 माह 17 दिन की अवधि तक दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। अतः स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में नियम-10 के तहत दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता के आधार पर उनका स्थानान्तरण सुगम स्थान पर किया जाता है।



(देवेन्द्र सिंह)
मुख्य कृषि अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

॥ कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ॥

पत्रांक-428 /स्था0/स्थानान्तरण एक्ट/2018-19/दिनांक-07-06-2018

प्रतिलिपि:-1-श्री जसवन्त सिंह चतुर्थ श्रेणी कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट को परिपालनार्थ प्रेषित।

- 2-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट को इस निर्देश के साथ कि उक्त कर्मचारी को नव तैनाती स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3-कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-कोषाधिकारी धुमाकोट/कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, पौड़ी को इस आशय से कि उक्त आदेश को जिलाधिकारी महोदय की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।
- 6-जिलाधिकारी, गढ़वाल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 7-अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 8-कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-स्थापना गार्ड पत्रावली।


मुख्य कृषि अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।